(78)

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. COURT भारत पाँच रुपये

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. COURT Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष– न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर म.प्र.

R-43-I-17

अशोक कुमार तनय श्री भवानीप्रसाद तिगनाथ

निवासी ग्राम सहजपुर तह0 व तेंदूखेड़ा जिला दमोह म.प्र.

... पुनरीक्षणकर्ता

।।बनाम।।

1. अरविंद मुखरैया तनय स्व0श्री तुलसीराम मुखरैया
2. घनश्याम मुखरैया तनय श्री बाबूलाल मुखरैया
3. उमेश मुखरैया तनय श्री बाबूलाल मुखरैया
4. हरप्रसाद मुखरैया तनय श्री बाबूलाल मुखरैया
5. केशव मुखरैया तनय बाबूलाल मुखरैया

निवासी आलापुर तह0 पथरिया जिला दमोह म.प्र.

.. उत्तरदाता

27-12-16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर सागर के रा.अपील प्र.क्र 0020/अपील/अ-6 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2016 से परिवेदित होकर जानकारी प्रथम बार दि0 05.12.2016 को प्राप्त होने पर नकल प्राप्ति में लगे समय को छोड़कर समयावधि के भीतर यह पुनरीक्षण सारवान तथ्यों वा विधिक आधारों पर पेश है :-

पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता के विरुद्ध में अधि0 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह म.प्र. के द्वारा राजस्व अपील प्र0क्र0 48/अ-6 वर्ष 2013-14 में दि0 26.09.2016 को आदेश पारित हुआ था उपरोक्त आदेश से परिवेदित होकर अरविंद मुखरैया वगैरह ने न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष धारा 44 के तहत 10.10.2016 को अपील पेश की थी जिसमें प्रकरण 14.10.2016 को मोशन

R 43-I/17

जिला दमोह

आज्ञा से

प्रकरण आज लिया गया।

22-3-18

निवेदक की ओर से श्री डी0के0 पाण्डे अभिभाषक। आज प्रकरण में कुछ न होने के कारण नोट प्रेस में प्रकरण को निरस्त करने का निवेदन किया गया। निवेदक अभि: के निवेदन पर प्रकरण NOT Press में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड भेजा जावे।

पीठासीन

Not press

22/03/19